न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 12 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 83

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री लालजी चौधरी पिता विजयकांत, प्रोपराईटर मैसर्स बी.एल. इण्टरप्राईजेज, सिन्टेक्स गेट से खांदू कोलोनी रोड, बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री हरिविष्णु पुरोहीत – अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 11–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.10.2024 की पालना में दिनांक 15.10.2024 को मुखबीर की सूचना पर मैसर्स बी.एल. इण्टरप्राईजेज, सिन्टेक्स गेट से खांदू कोलोनी रोड, बांसवाडा (राजस्थान) की जांच उसके प्रोपराईटर श्री लालजी चौधरी पिता विजयकांत की उपस्थिति में श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 21 घरेलु सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	इण्डेन गैस	344972	16.000	15.700	.300
2	इण्डेन गैस	203301 U	16.200	15.800	.400
3	एचपी गैस	815678 S	28.000	15.600	12.400
4	एचपी गैस	053249	16.000	15.700	0.300
5	इण्डेन गैस	187864 I	28.200	15.700	12.500
6	भारत गैस	613147 T	15.500	15.500	0.000
7	भारत गैस	667772 I	27.600	15.200	12.400
8	भारत गैस	323162 E	15.300	15.300	0.000
9	भारत गैस	081944 E	15.800	15.700	0.100

6A decision 2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

10	भारत गैस	968578 S	27.800	15.500	12.300
11	भारत गैस	009872 S	29.200	15.100	14.100
12	भारत गैस	158242 T	15.900	15.500	0.400
13	इण्डेन गैस	624355	16.300	16.300	0.000
14	इण्डेन गैस	57070 T	22.600	15.500	7.100
15	इण्डेन गैस	29587 S	16.100	15.800	0.300
16	इण्डेन गैस	टंकित नहीं	16.200	15.800	0.400
17	एचपी गैस	230279	15.700	15.700	0.000
18	इण्डेन गैस	319137 E	15.700	15.500	0.000
19	एचपी गैस	444798 T	15.900	15.900	0.000
20	एचपी गैस	085539 T	15.800	15.800	0.000
21	इण्डेन गैस	214318 S	15.900	15.400	0.500

श्री लालजी चौधरी पिता विजयकांत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 21 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 21 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर मैसर्स शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जीतमल/ शंकरलाल डिण्डोर को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 21 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 11.12.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री हरिविष्णु पुरोहित अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब प्रस्तुत हुआ जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जो निराधार है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नही कर रहा था न ही भण्डारण किया गया है। उक्त गैस सिलेण्डरो को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त जवाब के साथ ही बहस प्रस्तुत की। बहस में भी उक्त बिन्दुओं को दौहराते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को राजसात करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 15.10.2024 को मुखबीर की सूचना पर मैसर्स बी.एल. इण्टरप्राईजेज, सिन्टेक्स गेट से खांदू कोलोनी रोड, बांसवाडा (राजस्थान) की जांच उसके प्रोपराईटर श्री लालजी चौधरी पिता विजयकांत की उपस्थिति में श्री

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 21 घरेलु सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाया गया। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर मैसर्स शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जीतमल/ शंकरलाल डिण्डोर को सुपुर्दगी में दिया गया। श्री लालजी चौधरी पिता विजयकांत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 21 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 21 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर मैसर्स शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जीतमल/ शंकरलाल डिण्डोर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उपरोक्तानुसार 21 घरेलु गैस सिलेण्डर मैसर्स बी.एल. इण्टरप्राईजेज, सिन्टेक्स गेट से खांदू कोलोनी रोड, बांसवाडा (राजस्थान) पर अवैध भण्डारण करना गए है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का अवैध भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 21 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त 21 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 11–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:58:10 IST
Reason: SelfAttested